



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271430
CG-DL-E-30032026-271430

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सं. 08/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 224(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 780 (अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले परन्तुक में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(घ) ऐसे माल वही हैं, जो निर्यात किए गए थे:

परन्तु यह और कि कूरियर माध्यम से पुनः आयातित माल (कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट माल के अलावा) के मामले में, जोखिम आधारित उपचार लागू होगा;"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सी. बी.आई.सी-190354/29/2026- टी.आर.यू.]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं. 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 780(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार सा.का.नि. 442(अ) दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

No. 08/2026-Customs

G.S.R. 224(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 780(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the first proviso, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

“(d) the goods are the same which were exported:

Provided further that in case of goods re-imported through courier mode (other than goods specified in sub-regulation (4) of regulation 2 of the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010), risk-based treatment shall apply;”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2026.

[F. No. CBIC-190354/29/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 45/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 780(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* number G.S.R. 442(E), dated the 23rd July, 2024.